

प्रेषक,

राकेश कुमार शुक्ला,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0,
योजना भवन, लखनऊ

न्याय अनुभाग-8 (लेखा)


लखनऊ: दिनांक: 05 जून, 2020

विषय: उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण इन्दिरा भवन, लखनऊ में सदस्य (न्याय0प्रशा0) के रिक्त 02±02 कुल 04 पदों पर चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक न्याय अनुभाग-8 (लेखा) के विज्ञप्ति संख्या- ए-65/सात-न्याय-8(लेखा)-20-24(28)/91टी0सी0-1 दिनांक-05-6-2020 एवं आवेदन-पत्र की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति/आवेदन-पत्र के प्रारूप को न्याय विभाग की वेबसाइट-<http://law.up.nic.in/> पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,


(राकेश कुमार शुक्ला)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
संख्या: ए-65/सात-न्याय-8 (लेखा)-20-24/28/91टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 05 जून, 2020

विज्ञप्ति

उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ में रिक्त सदस्य (न्यायिक/प्रशासकीय) के 02±02 पदों अर्थात् कुल 04 पदों पर उ0प्र0 लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) में निर्धारित अवधि 05 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

2- अतः उ0प्र0 लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) की धारा-3 की उपधारा-(5), (6) तथा उपधारा-8 के अर्न्तगत अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी रिक्त पदों हेतु दिनांक 06 जुलाई, 2020 तक नियत प्रारूप पर आवेदन कर सकते हैं।

3- उ0प्र0 लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 (यथासंशोधित) की धारा-3 की उपधारा-(5), (6) तथा उपधारा-8 के अनुसार:-

(5) "कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसने जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो।"

(6) "भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या रूपये 18400-22400 या उससे अधिक के वेतनमान में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी किसी प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा परन्तु यह कि उसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो।"

(8) "कोई भी सदस्य (प्रशा0/न्याय0) के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा यदि उसने 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।"

4- आवेदन-पत्र का प्रारूप न्याय अनुभाग-8 (लेखा) के कार्यालय द्वारा नियत किया गया है, जिसे न्याय विभाग की वेबसाईट-<http://law.up.nic.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। नियत प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र प्रमुख सचिव, न्याय के कार्यालय में दिनांक 06 जुलाई, 2020 को सायं 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

जे0पी0सिंह-11

सदस्य (सचिव/संयोजक) सर्च कमेटी
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उ0प्र0 शासन।

संख्या: ए-65/ सात-न्याय-8(लेखा)-20-24/28/91टी0सी0, तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।

2-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।

3-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

- 4- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- निबन्धक, उ०प्र० राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस विज्ञप्ति को राज्य लोक सेवा अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार शुक्ला)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में रिक्त सदस्य (न्यायिक/प्रशासनिक) के 02+02 पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

पासपोर्टसाइज
का नवीनतम
फोटो

1-आवेदक का पूरा नाम

(क) हिन्दी में

(ख) अंग्रेजी में

(बड़े अक्षरो में)

2- पिता/पति का नाम

3- जन्मतिथि

4- स्थायी पता

5- अस्थायी/वर्तमान पता

6- सम्पर्क सूत्र

(क) दूरभाष संख्या(एस0टी0डी0 कोड सहित):

(ख) मोबाइल नं0

(ग) फैक्स नम्बर

(घ) ई-मेल

7- पैन नम्बर

8- शैक्षिक योग्यता

9- (क)क्या आवेदक विवाहित है

: हाँ/नहीं

(ख)यदि हों तो क्या आवेदक की एक या एक से अधिक पत्नियों जीवित है

(पुरुष आवेदकों के लिए)

अथवा

क्या आवेदक ने ऐसे पुरुष से विवाह किया है

जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित

(महिला आवेदकों के लिये)

10- राष्ट्रीयता

11- (क) वर्तमान/पूर्व धारित अन्य विवरण (धारित पद का नाम किस अवधि तक पद धारित किया गया है, का उल्लेख अवश्य हो)

(ख) न्यायिक/प्रशासनिक अनुभव, यदि कोई हो (भारत सरकार राज्य सरकारके अधीन यदि कोई सेवा की गयी हो तो जिस पद पर सेवा की गयी हो, उसका पदनाम तथा अवधि का उल्लेख अवश्य किया जाय)

(ग) अन्य विशिष्ट उपलब्धियाँ, यदि कोई हो

12- आवेदक अपने बारे में निम्न सूचनाएं/विवरण करेंगे ::

(क) शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में रहने की स्थिति में यदि सेवाकाल के दौरान कोई विभागीय जाँच जिसमें आरोप-पत्र दिया गया हो, तो ऐसी विभागीय जाँच/कार्यवाही का विवरण दिया जाय, जिसमें आरोप-पत्र तथा विभागीय जाँच का अन्तिम परिणाम अवश्य अंकित किया जाय।

(ख) आपराधिक प्रकरण में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी हो ऐसे आपराधिक प्रकरणके सम्बन्ध में विवरण दिया जाए, जिसमें दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने का नाम, जनपद का नाम तथा जिन धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है, का विवरण दिया जाय। यदि दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम, न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र का संज्ञान लेने की तिथि, वाद संख्या तथा न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्रसारित अद्यतन आदेश का उल्लेख किया जाय:

(ग) शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा या अन्य स्थिति में यदि कोई सतर्कता जांच प्रारम्भ की गयी हो या प्रचलित हो, तो उसका विवरण दिया जाय

13- परिवार के सदस्यों, जिसमें माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे शामिल होंगे, के विरुद्ध भी यदि कोई आपराधिक वाद पंजीकृत हो, तो उसका विवरण प्रस्तर-12 (ख) के अनुसार दिया जाय।

14- विगत 10 वर्षों में जिन-जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवास किया गया हो, ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि तथा निवास का विवरण दिया जाय:

नोट: यदि आवेदक भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

घोषणा-पत्र

मैं ----- आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री -----

इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित (Prosecuted) निरुद्ध (Kept in Detention) आबद्ध (Bound) दण्डित (Convicted) अथवा अर्धदण्डित (Fined) नहीं किया गया है। मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं है।

इस आवेदन-पत्र में उल्लिखित विवरण व तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण हैं। कोई तथ्य असत्य नहीं है और न ही किसी तथ्य को छुपाया गया है। यदि इसमें कोई तथ्य कालान्तर में असत्य पाया जाये अथवा छुपाया गया पाया जाये अथवा अधूरा पाया जाये, तो मेरा अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाय।

स्थान :-----

दिनांक :-----

आवेदक के हस्ताक्षर :-----

नाम :-----

जे०पी० सिंह-॥

प्रमुख सचिव, न्याय विभाग


उत्तर प्रदेश शासन।

05-06-2020

संख्या: ए-34 /सात-न्याय-8(लेखा)-20-24(28)/91टी०सी०, दिनांक 07 अप्रैल;2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
- 2-महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।
- 3-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4-निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5-निबन्धक, उ०प्र० राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से से प्रेषित कि वे इस विज्ञप्ति को राज्य लोक सेवा अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 6-गार्ड फाइल।

आजा से,


(राकेश कुमार शुक्ला)

विशेष सचिव